न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 13/2019 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री राकेश कुमार गुप्ता उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता निवासी आशनेश्वर महादेव के पास सिकन्दरा, दौसा।
   विक्रेता मैसर्स रोहित खण्डेलवाल स्टोर, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा, जिला दौसा।
2. श्री प्रकाश चन्द मोतियानी पुत्र स्व. श्री राम चन्द मोतियानी निवासी प्लॉट नं. 9/92 विद्याधर नगर, सेक्टर नं0 9 जयपुर।
   मैसर्स—प्रसंग मार्केटिंग, जी—30, विजयलक्ष्मी टॉवर, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर जयपुर।
3. **Jyoti Bachani M/S Mulberry Foods, H-1-823, Sitapura Industrial Area, Jaipur Raj. (Manufacturer/Supplier)**

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री अरविन्द त्रिवेदी प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्तगण सं 2 व 3 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 21.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 21.08.2018 को प्रातः 11:15 बजे मैसर्सः— रोहित खण्डेलवाल स्टोर, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता निवासी आशनेश्वर महादेव के पास सिकन्दरा, दौसा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन न होना जाहिर किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरीक्षण के समय विक्रेता के गोदाम में खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionery (Chatter patter)** 800 ग्राम वजनी के 12 हॉलसेल पैक जार आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु 4 हॉलसेल पैक जार 800 ग्राम **Sugar Boiled Confectionery (Chatter patter)** खरीदे। जिसकी कीमत 600 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

नमूने के लिये खरीदशुदा 4 हॉलसेल पैक जार 800 ग्राम **Sugar Boiled Confectionery (Chatter patter)** के प्रत्येक जार पैकिट पर लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेटकर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1969 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 23.08.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 23.08.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.08.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ **Sugar Boiled Confectionery (Chatter patter)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1385/एक्ट/2018/58 दिनांक 28.08.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त **Sugar Boiled Confectionery (Chatter patter)** का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी अभियुक्त सं. 2 व 3 की ओर से प्रतिनिधि श्री अरविन्द त्रिवेदी बहस के दौरान उपस्थित रहे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्तगण सं. 2 लगा. 3 की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त **Sugar Boiled Confectionery (Chatter patter)** के लेबल पर अंकित किये गया **Fruit Pulp** जो कि उक्त खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल किया गया है, की प्रतिशत की मात्रा उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर अंकित नही किये जाने के कारण तथा उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर **"Best before 12 Months from the month of manufacture"** छोटे अक्षरों में अंकित होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 एवं 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि नमूने के लेबल में जो कमी बताई गई थी कि **Fruit**

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Pulp की प्रतिशत नही बताई गई है वह प्रतिशत लेबल में अंकित कर दी गई है। जिस कारण से उक्त रेगूलेशन 2.2.2.2 (f) FSS (Packaging and Labelling) की पूर्ण पालना की जा चुकी है। बहस के दौरान प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 एवं 3 द्वारा अवगत करवाया गया कि लेबल पर "BEST BEFORE TWELVE MONTHS FROM MANUFACTURE" भी कैपिटल अक्षरों में प्रिन्ट करवा दिया गया है। अप्रार्थीगण को भविष्य मे गलती ना करने की हिदायत देकर माफ करने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रतिनिध अप्रार्थी अभियुक्तगण सं. 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1385/एक्ट/2018/58 दिनांक 28.08.2018 के अनुसार उक्त Sugar Boiled Confectionery (Chatter patter) में Fruit Pulp की प्रतिशत की मात्रा उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर अंकित नही किये जाने के कारण एवं "Best before 12 Months from the month of manufacture" छोटे अक्षरों में अंकित होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा Sugar Boiled Confectionery (Chatter patter) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री राकेश कुमार गुप्ता उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता निवासी आशनेश्वर महादेव के पास सिकन्दरा, दौसा पर 5000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये), अप्रार्थी सं0 2 श्री प्रकाश चन्द मोतियानी पुत्र स्व. श्री राम चन्द मोतियानी निवासी प्लॉट नं. 9/92 विद्याधर नगर, सेक्टर नं0 9 जयपुर पर 10000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी सं. 3 Jyoti Bachani M/S Mulberry Foods, H-1-823, Sitapura Industrial Area, Jaipur Raj. (Manufacturer/Supplier) पर 15000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 21.08.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कमांक/1779-1783 दिनांकः– 30 .08.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राकेश कुमार गुप्ता उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता निवासी आशनेश्वर महादेव के पास सिकन्दरा, दौसा।
   विक्रेता मैसर्स रोहित खण्डेलवाल स्टोर, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा, जिला दौसा।
4. श्री प्रकाश चन्द मोतियानी पुत्र स्व. श्री राम चन्द मोतियानी निवासी प्लॉट नं. 9/92 विद्याधर नगर, सेक्टर नं0 9 जयपुर।
   मैसर्स–प्रसंग मार्केटिंग, जी–30, विजयलक्ष्मी टॉवर, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर जयपुर।
5. Jyoti Bachani M/S Mulberry Foods, H-1-823, Sitapura Industrial Area, Jaipur Raj. (Manufacturer/Supplier)

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा